"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—चैत्र 12, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2016

क्रमांक 362/3131/अव./2015/1-8/स्था.—श्री राघवेन्द्र कुमार (रा.वि.से.), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 26-10-2015 से 06-11-2015 तक 12 दिवस का (दिनांक 24, 25-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राघवेन्द्र कुमार आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

3. अवकाश अवधि में श्री राघवेन्द्र कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राघवेन्द्र कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 3-84/2015/गृह-दो.—मैदानी गोला बारूद तोप अभ्यास अधिनियम 1983 के अध्याय II की धारा 9 (1, 2, 3, 4) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र/राज्य पुलिस बल के जवानों को प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग अभ्यास हेतु ग्राम-भरनी, प.ह.नं. 27 रा.नि.मं.-सकरी, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नं. 106, 107, 117, 119 एवं 201/1 में कुल रकबा 63.180 हेक्टर भूमि शासकीय अभिलेखों में 87वीं वाहिनी सीआरपीएफ बल रायपुर के नाम पर मालिकाना हक पर दर्ज है. उक्त भूमि में ग्रुप केन्द्र में निर्मित 100 मीटर को ग्रुप केन्द्र बफैल फायरिंग रेंज हेतु अधिसूचित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2016

क्रमांक एफ 10-11/2015/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—
नियम 5 में अंक एवं शब्द “5 वर्ष” के स्थान पर अंक एवं शब्द “10 वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 10-11/2015/16.—In exercise of the powers conferred by Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Factories Rules, 1962, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—
In Rule 5, for the figure and word “5 year”, the figures and word “10 year” shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्रमांक/7526/एफ-20/15/2014/14-2.—यत:, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ:) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2, रायपुर दिनांक 14 दिसंबर, 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मंडी क्षेत्र के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2006 के नियम 4 के खण्ड (क) में संशोधन करने के अपने आशय को संसूचित किया था;

अतएव, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 79 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 4 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/आढ़तिया/सर्वेक्षक/भण्डारणकर्मी/गोडाउनकीपर रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्रमांक/7526/एफ-20/15/2014/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/7526/रायपुर दिनांक 14-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, 14th March 2016

No./7526/F-20/15/2014/14-2.—Whereas, the State Government vide Notification No./5192/F-20/15/2014/14-2, Raipur, dated 14th December, 2015 issued under clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) had signified its intension to amend in clause (a) of rule 4 in the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Special Licence for more than one Market Areas) Rules, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 79 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendment in the said rule, the same having been previously published as required Section 79 of the said Act.

AMENDMENTS

In the said rules,—

For clause (a) of rule 4, the following shall be substituted, namely :—

"(a) Trader/Processor/Commission Agent/Surveyor/Warehouseman/Godown Keeper. Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousend)"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2016

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

1. **जिला बलरामपुर-रामानुजगंज—** (1) राजपुर निवेश क्षेत्र (2) कुसमी निवेश क्षेत्र.
2. **जिला सूरजपुर —** (1) प्रतापपुर निवेश क्षेत्र (2) जरही निवेश क्षेत्र (3) भटगवां निवेश क्षेत्र.
3. **जिला बलौदाबाजार —** (1) भटगांव निवेश क्षेत्र (2) लवन निवेश क्षेत्र.
4. **जिला बिलासपुर —** (1) गनियारी निवेश क्षेत्र.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक एफ 20-36/2014/11/(6).—यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-92/2006/11/(6) दिनांक 02 जनवरी 2007 के अनुसार उद्यमियों द्वारा स्वविवेकानुसार ई.एम. पार्ट-I तथा ई.एम. पार्ट-II दाखिल करने संबंधी व्यवस्था भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576(ई) दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिवर्तित की गई है,

ओर यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-4/2016/11/(6) दिनांक 06 फरवरी, 2016 से उद्यमियों को स्वविवेकानुसार स्वप्रमाणन के आधार पर "उद्यम आकांक्षा" (Udyam Aakanksha) दाखिल करने की व्यवस्था लागू की गई है,

ओर यत: औद्योगिक नीति 2014-19, में वर्तमान में पात्रता के लिये ई.एम. पार्ट-I एवं ई.एम. पार्ट-II अनिवार्य अभिलेख है,

अतएव, राज्य शासन, औद्योगिक नीति 2014-19 के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक नीति 2014-19 में जहां-जहां भी ई-एम पार्ट-I शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसे ई-एम पार्ट-I/उद्यम आकांक्षा (Udyam Aakanksha) से प्रतिस्थापित करता है.

यह अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2015 से प्रभावशील होगी.

नया रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2016

क्रमांक एफ 20-77/2012/11/(6).—यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-92/2006/11/(6) दिनांक 02 जनवरी 2007 के अनुसार उद्यमियों द्वारा स्वविवेकानुसार ई.एम. पार्ट-I तथा ई.एम. पार्ट-II दाखिल करने संबंधी व्यवस्था भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576(ई) दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिवर्तित की गई है,

ओर यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-4/2016/11/(6) दिनांक 06 फरवरी, 2016 से उद्यमियों को स्वविवेकानुसार स्वप्रमाणन के आधार पर "उद्यम आकांक्षा" (Udyam Aakanksha) दाखिल करने की व्यवस्था लागू की गई है,

ओर यत: ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012, में वर्तमान में पात्रता के लिये ई.एम. पार्ट-I एवं ई.एम. पार्ट-II अनिवार्य अभिलेख है,

अतएव, राज्य शासन, ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के क्रियान्वयन हेतु ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 में जहां-जहां भी ई-एम पार्ट-1 शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसे ई-एम पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा (Udyam Aakanksha) से प्रतिस्थापित करता है.

यह अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2015 से प्रभावशील होगी.

नया रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2016

क्रमांक एफ 20-4/2016/11/(6).—यत: इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-92/2006/11/(6) दिनांक 02 जनवरी 2007 के अनुसार उद्यमियों द्वारा स्वविवेकानुसार ई.एम. पार्ट-I तथा ई.एम. पार्ट-II दाखिल करने संबंधी व्यवस्था भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576(ई) दिनांक 18 सितम्बर, 2015 के द्वारा परिवर्तित की गई है,

ओर यत: इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 फरवरी, 2016 से उद्यमियों को स्वविवेकानुसार स्वप्रमाणन के आधार पर "उद्यम आकांक्षा" (Udyam Aakanksha) दाखिल करने की व्यवस्था लागू की गई है,

ओर यत: औद्योगिक नीति 2014-19, में वर्तमान में पात्रता के लिये ई.एम. पार्ट-I एवं ई.एम. पार्ट-II अनिवार्य अभिलेख है,

अतएव, राज्य शासन, औद्योगिक नीति 2014-19 के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक नीति 2014-19 में जहां-जहां भी ई-एम पार्ट-1 शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसे ई-एम पार्ट-1/उद्यम आकांक्षा (Udyam Aakanksha) से प्रतिस्थापित करता है :—

1.	छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम, 2014	क्रमांक एफ 20-31/2015/11/(6), दिनांक 04-06-2015
2.	छत्तीसगढ़ राज्य मार्जिन मनी अनुदान नियम, 2014	क्रमांक एफ 20-54/2015/11/(6), दिनांक 17-06-2015
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विकलांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान नियम, 2014.	क्रमांक एफ 20-63/2015/11/(6), दिनांक 17-06-2015
4.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, 2014	क्रमांक एफ 20-68/2015/11/(6), दिनांक 21-08-2015
5.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम, 2014	क्रमांक एफ 20-82/2015/11/(6), दिनांक 24-09-2015
6.	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान नियम, 2014	क्रमांक एफ 20-81/2015/11/(6), दिनांक 24-09-2015
7.	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान नियम, 2014	क्रमांक एफ 20-83/2015/11/(6), दिनांक 28-09-2015
8.	छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना अनुदान नियम, 2014.	क्रमांक एफ 20-102/2015/11/(6), दिनांक 15-01-2016

यह अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2015 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक एफ 7-4/सात-1/2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे संलग्न अनुसार "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" लागू करता है. उक्त नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों/संस्थाओं को उनकी अधोसंरचना निर्माण एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है. भू-अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने की दृष्टि से शासकीय परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित करने हेतु प्रतिफल का भुगतान करके भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सकती है. अनेक अवसर पर निजी भूमि धारक उपरोक्त प्रयोजनों के लिये अपनी भूमि राज्य शासन को विक्रय करने में रूचि रखते हैं, क्योंकि प्रस्तावित अधोसंरचना निर्माण, विकास परियोजनाओं आदि के त्वरित क्रियान्वयन से स्थानीय क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होकर वहां के निवासियों को अनेक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं. साथ ही भूमि विक्रय की यह विकल्प उन्हें प्रक्रियात्मक सुगमता, समय की बचत व विक्रय मूल्य की शीघ्र प्राप्ति आदि कारणों से भी आकर्षित करता है. आपसी सहमति से राज्य शासन द्वारा भूमि धारकों से भूमि क्रय करना कई परिस्थितियों में दोनों पक्षों के साथ-साथ व्यापक लोकहित में भी लाभकारी होता है.

2. अत: संविधान की राज्य सूची के विषय क्रमांक-18 (भूमि अंतरण) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय करने की नीति बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से निम्नानुसार "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) जारी करती है :—

1. यह नीति केवल राज्य शासन तथा केन्द्र शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों/संस्थाओं की रेखीय परियोजनाओं के लिये लागू होगी. रेखीय परियोजनाओं के अलावा अन्य विकास परियोजनाओं के लिये अधिकतम 100 हेक्टर क्षेत्रफल तक भूमि इस नीति के तहत क्रय की जा सकेगी.

2. राज्य शासन के विभिन्न विभागों, उपक्रमों/संस्थाओं को रेखीय परियोजना और विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर सर्वप्रथम कलेक्टर उपलब्ध शासकीय भूमि में से उपयुक्त भूमि प्रशासकीय विभाग को नियमानुसार हस्तांतरण करेगा.

3. यदि इसके लिए उपयुक्त शासकीय भूमि जिले में उपलब्ध नहीं है तो प्रशासकीय विभाग, उपक्रम/संस्था के आवेदन पर इस नीति के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए परियोजना अथवा उसके अंश भाग के लिए निजी भू-धारकों से आपसी सहमति के आधार पर न्यूनतम आवश्यक भूमि क्रय की जा सकेगी.

4. भू-धारक की निजी भूमि क्रय किए जाने के दिनांक को कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाईड लाईन की तत्समय प्रभावशील दर के अनुसार संगणित भूमि के मूल्य और भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर राशि प्रतिफल (Consideration) के रूप में देकर क्रय की जाएगी.

5. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिफल के समतुल्य राशि विक्रेता को एकमुश्त सोलेशियम (तोषण) के रूप में दी जाएगी. इस प्रकार विक्रेता को निजी भूमि और उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के लिए भूमि मूल्य की दोगुनी राशि प्राप्त होगी.

6. किंतु उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिफल के अतिरिक्त भूमिस्वामी को इतनी अतिरिक्त राशि और भुगतान की जावेगी, कि पड़त भूमि के लिये 6.00 लाख रुपये प्रति एकड़, असिंचित भूमि (एक फसली) के लिये 8.00 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा सिंचित भूमि (दो फसली) के लिये 10.00 लाख रुपये प्रति एकड़ न्यूनतम प्राप्त हो.

उपरोक्तानुसार भूमि मूल्य निर्धारण के बाद प्रत्येक विक्रेता परिवार को 5.00 लाख (पांच लाख) रुपये पुनर्वास अनुदान के रूप में पृथक से दिया जावेगा.

7. विभाग/उपक्रम/संस्था की परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों के मूल्य और पुनर्वास अनुदान एवं कंडिका-5 के अनुसार देय अतिरिक्त राशि का वहन संबंधित शासकीय विभाग, उपक्रम/संस्था द्वारा किया जाएगा. इसके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा किया जाएगा.

8. विभाग/उपक्रम/संस्था सर्वप्रथम अधोसंरचना अथवा परियोजना के लिए क्रय की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर निजी भू-धारक की क्रय की जाने वाली भूमि चिन्हांकित करेगा और आवश्यकतानुसार भूमि क्रय करने हेतु विभाग/उपक्रम/संस्था का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा.

9. भूमि क्रय हेतु आवेदन-पत्र में निम्न विवरण दिये जाएंगे—
   (1) परियोजना का नाम तथा उद्देश्य,
   (2) क्रय की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल,
   (3) परियोजना के लिए आवश्यक बजट शीर्ष में भूमि क्रय करने के लिए धन राशि की उपलब्धता का ब्यौरा,
   (4) भूमि का विवरण (खसरा क्रमांक/भू-खंड क्रमांक/नजूल शीट क्रमांक, क्षेत्रफल ग्राम, तहसील, जिला और नक्शा),
   (5) भूमि के ज्ञात/अभिलिखित धारक/धारकों के विवरण, जो उपलब्ध हो सके,
   (6) तत्समय प्रभावशील गाईड लाईन की दरों के संदर्भ में भूमि का अनुमानित मूल्य,
   (7) भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों का विवरण और अनुमानित मूल्य,
   (8) अन्य विवरण जो विभाग/उपक्रम/संस्था देना चाहे.

10. (1) कलेक्टर आवेदन प्राप्त होने पर भूमि के स्वच्छ धारणाधिकार (Clear title) एवं आधिपत्य के विषय में भू-अभिलेख के आधार पर तहसीलदार से प्रतिवेदन प्राप्त करेगा.

   (2) कलेक्टर भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों यथा-कुआं, मकान, वृक्ष आदि का मूल्यांकन संबंधित विभाग यथा-लोक निर्माण विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन विभाग आदि के अधिकारी से कराएगा.

   (3) कलेक्टर भूमि और उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्तियों दोनों का मूल्य जोड़कर कुल मूल्यांकन नियत करेगा.

   (4) कुल मूल्यांकन के समतुल्य राशि सोलेशियम (तोषण) निर्धारित किया जावेगा.

   (5) उपरोक्त के अतिरिक्त प्रति विक्रेता परिवार को रु. 5.00 लाख पुनर्वास अनुदान के रूप में दिया जावेगा.

11. विभाग/उपक्रम/संस्था के आवेदन का परीक्षण करने के उपरान्त यदि कलेक्टर के द्वारा वांछित भूमि क्रय योग्य पाई जाती है, तो वह भूमि क्रय करने का प्रस्ताव प्रारूप-क में धारक को भेजकर धारक को 15 दिवस की समयावधि देते हुए धारक से प्रारूप-ख में स्वीकृति की अपेक्षा करेगा. कलेक्टर आवश्यकतानुसार उक्त समयावधि में वृद्धि कर सकेगा.

12. कलेक्टर भू-धारक से उसकी स्वीकृति के साथ-साथ यह वचनबद्ध (Undertaking) प्राप्त करेगा, कि क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि सभी प्रकार से उसके स्वच्छ धारणाधिकार में है और इस भूमि के विषय में किसी भी न्यायालय/प्राधिकार के समक्ष स्वत्व और आधिपत्य संबंधी कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है और प्रस्तावित भूमि किसी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं है. यदि भूमि पर कोई विवाद है, तो उसका संक्षिप्त विवरण देगा. इसके अतिरिक्त भू-धारक यह भी जानकारी देगा, कि प्रस्तावित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त (free from all encumbrances) है. इस प्रकार की स्वीकृति पत्र भू-धारक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा.

13. (1) धारक की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर 15 दिवस की अवधि देते हुए इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, कि ऐसी भूमि धारकों (पूरा नाम व पता सहित) से परियोजना के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो, तो वह नियत अवधि में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

   (2) सूचना जारी करने के अलावा कलेक्टर, तहसीलदार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी से यह भी सुनिश्चित करायेगा, कि क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि संबंधी कोई, विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है तथा भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त है.

(3) उपरोक्तानुसार जारी की जाने वाली सार्वजनिक सूचना कलेक्टर कार्यालय, उपखंड अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, यथास्थिति ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित की जाएगी. सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा जिले की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.

14. नियत अवधि में प्राप्त आपत्तियों के आधार पर कलेक्टर, यदि भूमि का खंडित धारणाधिकार (defective title) पाता है, तो वह ऐसी भूमि को क्रय करने के लिए अग्रसर नहीं होगा. जारी सार्वजनिक सूचना की अवधि के अवसान तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कलेक्टर भू-धारक से राज्य सरकार के संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था के पक्ष में भूमि क्रय हेतु अग्रसर होगा.

15. भू-धारक से लिखित स्वीकृति प्राप्त होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर कलेक्टर राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम/संस्था के पक्ष में भूमि क्रय करेगा और इसके लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित भूमि/स्थावर परिसम्पत्तियों का मूल्य और अतिरिक्त अनुदान राशि संबंधित भू-धारक को भुगतान कराएगा.

16. भूमि की रजिस्ट्री करने के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी पंजीयन शुल्क व अन्य व्यय संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा.

17. इस नीति के अंतर्गत भूमि का क्रय "छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर" के नाम से की जाएगी. विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया जाता है.

18. क्रय विलेख के पंजीयन उपरांत भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में किया जाएगा, जिसमें संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था का नाम भी अंकित होगा. जैसे छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग या छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग आदि.

19 उपरोक्तानुसार भूमि क्रय के उपरांत यदि परियोजना प्रत्याहृत (withdraw) अथवा असफल हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप इस भूमि की आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो क्रय की गयी भूमि संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्था द्वारा राजस्व विभाग को समर्पित कर दी जाएगी. समर्पित की गयी भूमि राजस्व विभाग द्वारा भविष्य में किसी अन्य शासकीय प्रयोजन अथवा विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित की जा सकेगी.

20. शासन द्वारा कृषि हेतु पट्टे पर दी गई शासकीय भूमि की किसी परियोजना हेतु आवश्यकता की दशा में कलेक्टर इस नीति के अंतर्गत पट्टे की नितांत आवश्यकता का परीक्षण करेगा और स्वत्व की भूमि की भांति मूल्य तथा अनुदान की राशि की गणना कर पट्टेदार को उसके द्वारा स्वेच्छा से पट्टा समर्पण करने पर समतुल्य राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत कर सकेगा.

अनुलग्न— प्रारूप-क एवं प्रारूप-ख

प्ररूप - "क"

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा)

क्रमांक दिनांक

भूमि क्रय का प्रस्ताव

प्रति,

1.

2.

विषय :- राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/संस्था .... की .... परियोजना के लिये भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपके धारणाधिकार की भूमि क्रय करने हेतु प्रस्ताव.

राज्य शासन के विभाग/उपक्रम/संस्था .... की .... परियोजना के लिये आपके

धारणाधिकार की भूमि की आवश्यकता होने से राज्य शासन/उपक्रम/संस्था निम्न भूमि क्रय करना चाहता है :—

भूमि एवं परिसम्पत्ति का विवरण

1.	भूमि का विवरण (खसरा/भूखंड क्रमांक, क्षेत्रफल, ग्राम एवं तहसील जहां भूमि स्थित है, चतुर्सीमा सहित)	
2.	वर्ष .... के लिये कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के आधार पर संगणित बाजार मूल्य	
3.	उक्त भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति का विवरण-यदि कोई है	
4.	स्थावर सम्पत्ति का संबंधित विभाग द्वारा आंकलित मूल्य	
5.	कुल मूल्य (2 + 4)	
6.	कुल मूल्य के समतुल्य सोलेशियम	
7.	कुल प्रस्तावित क्रय मूल्य (5 + 6)	
8.	पुनर्वास अनुदान प्रति विक्रेता 5.00 लाख की दर से (क्रमांक 7 के अतिरिक्त)	

2/ उपरोक्त विवरण अनुसार आपके द्वारा धारित भूमि/भूखंड और उस पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति का कुल बाजार मूल्य रुपये .... (शब्दों में रुपये ....) होता है. यदि आप उक्त भूमि राज्य शासन/उपक्रम/संस्था के पक्ष में विक्रय करने हेतु सहमत हैं, तो प्रतिफल के रूप में आपको ऊपर दिये गये विवरण में उल्लेखित मूल्य तथा सोलेशियम राशि रुपये .... एवं पुनर्वास अनुदान .... रुपये कुल राशि रुपये .... (शब्दों में रुपये ....) दी जाना प्रस्तावित है. आपसे अपेक्षा है, कि राज्य शासन के पक्ष में उक्त विवरण अनुसार भूमि/भूखण्ड उस पर स्थिति स्थावर सम्पत्ति सहित विक्रय करने हेतु अपनी सहमति प्रारूप-ख में जो कि इस प्रस्ताव के साथ संलग्न है, प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें.

3/ यदि उक्तानुसार प्रारूप-ख में आपकी ओर प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्तुत की जाती है, तो विषयांकित परियोजना के लिये राज्य शासन/उपक्रम/संस्था के पक्ष में आपके धारणाधिकार की उक्त भूमि/भूखंड उस पर स्थित स्थावर सम्पत्ति सहित क्रय की जाएगी.

4/ आपकी स्वीकृति प्राप्त होने तक धारणाधिकार विषयक जांच की जाएगी और यदि भूमि/भूखंड आपके स्वच्छ धारणाधिकार में पाया जाता है, तो आपको एक वर्ष के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित करना होगा. प्रतिफल की राशि का भुगतान विक्रय विलेख निष्पादन के समय आपको किया जावेगा.

संलग्न— प्रारूप-ख

कलेक्टर

जिला-

प्ररूप – "ख"

स्वीकृति पत्र

मैं/हम .... पुत्र .... आयु .... वर्ष स्थाई पता .... तहसील .... जिला .... वर्तमान पता .... जिला कलेक्टर .... के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा मुझे/हमें प्राप्त मेरे धारणाधिकार की भूमि/भू-खंड जिसके विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, को कलेक्टर के पत्रानुसार राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम/संस्था की .... परियोजना के लिए क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रस्ताव में उल्लेखित प्रतिफल (सोलेशियम सहित) रुपया .... (शब्दों में ....) और समतुल्य पुनर्वास अनुदान रुपया .... (शब्दों में ....) लेकर राज्य सरकार के पक्ष में विक्रय करने हेतु स्वीकृति देता हूं/देते हैं.

2. मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं, कि प्रस्तावित भूमि सभी प्रकार से मेरे/हमारे स्वच्छ धारणाधिकार में है और इस भूमि के विषय में किसी भी न्यायालय/प्राधिकार के समक्ष स्वत्व और आधिपत्य संबंधी कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है और प्रस्तावित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त (free from all encumbrances) है.

3. प्रस्तावित भूमि विवादग्रस्त नहीं है. (यदि विवाद है तो उसका विवरण दिया जाए)

अनुसूची

भूमि के विवरण

हस्ताक्षर
स्वीकृतकर्ता भू-धारक

स्थान ------------------ दिनांक --------------

साक्षी

1. ----------------------------------

2. ----------------------------------

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बैकुण्ठपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक/853/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	छरछा प.ह.नं. 04	50.249	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	गेज बांध डुब क्षेत्र में शेष बची भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बैकुण्ठपुर, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक/854/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	रकेया प.ह.नं. 04	5.143	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर.	गेज बांध डुब क्षेत्र में शेष बची भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 22 फरवरी 2016

क्रमांक 01/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी	रोहांसी प.ह.नं. 34	3.146	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर (छ.ग.)	राजीव समोदा-निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 22 फरवरी 2016

क्रमांक 02/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी	बलौदी	0.607	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर (छ.ग.)	राजीव समोदा-निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार, दिनांक 22 फरवरी 2016

क्रमांक 03/अ-82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	पलारी	खपरी प.ह.नं. 35	0.997	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर (छ.ग.)	राजीव समोदा-निसदा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 5616/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धाराशिव, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.790 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
935	0.061
936/1	0.162
937/1	0.061
1301/5	0.182
1303/1	0.117
1303/3	0.004
2823/3	0.129
2823/4	0.032
2828/2	0.206
2835	0.040
2836	0.028
2837	0.036
2838	0.024
2843/2	0.028
2843/3	0.105
2843/6	0.045
2844/1	0.109
2845/1	0.045
2846/1	0.057

	(1)	(2)
	2847/1	0.089
	2847/2	0.093
	2847/4	0.040
	2848/2	0.057
	2853	0.040
योग	24	1.790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गोविंदा-पेंड्री पर हसदेव नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 5637/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-हरदी (हरि), प.ह.नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.333 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	297/1	0.024
	297/2	0.016
	298	0.084
	286/17	0.008
	286/21	0.008
	286/15	0.036
	286/13	0.028
	243/1	0.020
	244	0.032
	286/12	0.016
	290/3	0.061
योग	11	0.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोगदा-बिरगहनी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-भखारा, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-06.44 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17	0.11
18	0.03
20	0.26
33	0.13

(1)	(2)
34	0.40
35	0.06
67	0.36
85	0.29
84/2	0.24
83/1	0.15
83/2	0.05
123	0.02
224	0.07
191	0.11
142	0.25
143	0.07
144	0.24
145	0.01
189	0.17
190	0.02
192	0.08
193/2	0.06
193/4	0.11
225	0.05
226	0.24
386	0.17
388	0.03
389	0.02
395	0.03
396/1	0.21
396/2	0.06
397	0.08
429	0.10
456	0.31
457	0.02
458	0.20
461	0.60
462	0.10
463	0.20
465	0.20
467	0.10
470/1	0.01
470/2	0.01
470/3	0.03
730/1	0.04
730/2	0.04
730/4	0.17
1415	0.09
1430	0.04
योग 49	6.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भखारा-सुपेला-सिलघट मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक 11/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-भखारा, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.36 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1598	0.03
	1599	0.02
	1616/2	0.04
	1617/2	0.06
	1626/2	0.02
	1619	0.19
योग	6	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भखारा में अटल चौक से बायपास मार्ग (गौरवपथ) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 18 फरवरी 2016

क्रमांक/294/बा.व.भू-उप./नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बारसूर निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय नगर पंचायत भवन बारसूर (प्रदर्शनी स्थल) जिला दंतेवाड़ा, कार्यालय कलेक्टर जिला दन्तेवाड़ा एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 31 में दिनांक 27 फरवरी 2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. बारसूर निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

बारसूर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	नगर पंचायत बारसूर एवं ग्राम हिटामेटा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम हिटामेटा एवं नगर पंचायत बारसूर की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	नगर पंचायत बारसूर एवं ग्राम मूचनार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम मूचनार एवं नगर पंचायत बारसूर की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत भवन बारसूर

No./294/Barsor.EXT.L./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Barsoor Planning Area has been prepared under section 15 sub-section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 28-01-2016 during office hours in the Office of the Nagar Panchayat (Exhibition Venue) Barsoor, Office of the Collector, District Dantewada & Office of Deputy Director, Town & Country Planning, Collectorate Compound Composite Building Jagdalpur, Dist. Bastar. The limit of the Barsoo r Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Barsoor Planning Area

NORTH	:	Nagar Panchayat Barsoor and Village Hitameta to the northern limit.
EAST	:	Village-Hitameta and Nagar Panchayat Barsoor upto the eastern limit.
SOUTH	:	Nagar Panchayat Barsoor and Muchnar upto the southern limit of village.
WEST	:	Village Muchnar and Nagar Panchayat Barsoor upto the western limit of village.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning, Jagdalpur within a period of thirty days from the, date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

Place of Inspection : Nagar Panchayat Bhavan Barsoor.

डी. के. बघेल,
सहायक संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/7910.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2015-16/4780-81, दिनांक 01-10-2015 द्वारा श्री एस. एल. धृतलहरे तहसीलदार बागबाहरा को कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर महासमुन्द के ज्ञापन क्रमांक 333/40/अ.अ.ऊ.शा./2015-16 दिनांक 08-03-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा में भारसाधक अधिकारी के पद पर श्री जगन्नाथ वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एस. एल. धृतलहरे तहसीलदार बागबाहरा जिला-महासमुन्द के स्थान पर श्री जगन्नाथ वर्मा, डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2016

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2015-16.—मैं ए. के. श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला बालोद के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2015-16 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	जिला	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	कारखाना द्वार	बालोद	बालोद	50	228.00
			गुरूर	50	153.40
			डौंडी	12	23.00
			डौण्डीलोहारा	83	180.10
			गुण्डरदेही	41	175.00
		दुर्ग	पाटन	15	88.69
			दुर्ग	09	28.61
		राजनांदगांव	खैरागढ़	7	30.20
			राजनांदगांव	7	32.00
2.	बेरला	बेमेतरा	बेरला	23	578.18
			साजा	12	212.10
			धमधा	34	352.10
3.	आनंदगांव	बेमेतरा	बेरला	19	227.22
			बेमेतरा	30	426.53
			योग	**392**	**2735.13**

ए. के. श्रीवास्तव,
गन्ना आयुक्त.

शक्कर कारखाना गेट पर गन्ना आपूर्ती करने वाले ग्रामों की सूची विकासखंड वार				
पेराई सत्र 2015–16				
क्रं.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे.में)	कारखाने से ग्राम की दूरी (कि.मी.)
1	2	3	4	5
1	गुरूर	ठेकवाडीह	7.10	15
2	गुरूर	नरबदा	0.40	20
3	गुरूर	सरबदा	0.70	21
4	गुरूर	दियाबाती	3.00	18
5	गुरूर	खर्रा	1.20	20
6	गुरूर	दुपचेरा	0.80	13
7	गुरूर	कनेरी	0.40	18
8	गुरूर	मुजगहन	6.50	13
9	गुरूर	फागुनदाह	3.10	25
10	गुरूर	अकलवारा	17.60	25
11	गुरूर	खोरदो	0.70	28
12	गुरूर	परसुली	1.30	32
13	गुरूर	डढारी	5.00	22
14	गुरूर	पलारी	12.40	35
15	गुरूर	भिरई	2.70	42
16	गुरूर	देवकोट	1.40	32
17	गुरूर	धनेली	1.30	18
18	गुरूर	भुलनडबरी	1.00	15
19	गुरूर	भोथली	3.20	25
20	गुरूर	बासीन	3.00	26
21	गुरूर	बोड़रा	1.30	19
22	गुरूर	अरकार	1.20	45
23	गुरूर	हसदा	2.00	40
24	गुरूर	सोरर	4.00	8
25	गुरूर	चिरचारी	6.00	6
26	गुरूर	बोहारा	0.50	36
27	गुरूर	अरमरीकला	2.00	36
28	गुरूर	दानीटोला	6.00	15
29	गुरूर	कन्हारपुरी	2.30	15
30	गुरूर	चुल्हापथरा	6.20	22
31	गुरूर	सोनईडोंगरी	8.00	20
32	गुरूर	धनोरा	3.00	6
33	गुरूर	कपरमेटा	3.00	5
34	गुरूर	टें.बरपारा	4.00	6
35	गुरूर	बड़भुम	2.50	25
36	गुरूर	हितेकसा	7.50	20
37	गुरूर	रूपुटोला	2.40	21
38	गुरूर	नगझर	4.50	21
39	गुरूर	मंगचुवा	2.50	18
40	गुरूर	सोहतरा	1.00	25

41	गुरूर	सालहेभाट	1.50	20
42	गुरूर	खैरडीगी	2.40	22
43	गुरूर	मुजालगोंदी	1.00	25
44	गुरूर	कोचवाही	0.50	22
45	गुरूर	करेंझर	0.50	25
46	गुरूर	करियाटोला	1.00	12
47	गुरूर	बोरीदकला	1.00	25
48	गुरूर	डोकला	1.00	22
49	गुरूर	तार्री	1.00	8
50	गुरूर	गगोरीपार	0.80	24
		कुल रकबा–	153.40	
1	2	3	4	5
1	डौं.लोहारा	पिनकापार	8.00	75
2	डौं.लोहारा	माहराजपुर	2.40	73
3	डौं.लोहारा	मुड़खुसरा	3.00	70
4	डौं.लोहारा	चे.ब.नवागांव	3.00	60
5	डौं.लोहारा	नांहदा	1.00	60
6	डौं.लोहारा	बेहराभाठा	1.00	63
7	डौं.लोहारा	खपरभाठ	2.50	66
8	डौं.लोहारा	गनेशखपरी	2.00	70
9	डौं.लोहारा	कुंआगांव	3.50	66
10	डौं.लोहारा	रिवागहन	0.60	60
11	डौं.लोहारा	गोड़मर्रा	6.50	65
12	डौं.लोहारा	परसाडीह	1.00	55
13	डौं.लोहारा	फड़दफोड़	1.00	62
14	डौं.लोहारा	कापसी	1.00	50
15	डौं.लोहारा	सोरली	0.50	48
16	डौं.लोहारा	संबलपुर	2.00	40
17	डौं.लोहारा	खैरीडीह	9.00	52
18	डौं.लोहारा	भंवरमरा	4.00	85
19	डौं.लोहारा	जुंगेरा	0.50	87
20	डौं.लोहारा	भिन्दो	1.00	64
21	डौं.लोहारा	खोलझर	9.00	61
22	डौं.लोहारा	बुल्लुटोला	3.00	60
23	डौं.लोहारा	गुरामी	1.20	48
24	डौं.लोहारा	डौं.लोहारा	0.50	42
25	डौं.लोहारा	खेरथा	0.80	60
26	डौं.लोहारा	कोटेरा	0.60	58
27	डौं.लोहारा	कोसमी	1.00	50
28	डौं.लोहारा	परसाडीह	1.50	53
29	डौं.लोहारा	केंवट नवागांव	0.80	62
30	डौं.लोहारा	सुरसुली	1.80	55
31	डौं.लोहारा	संजारी	0.80	60
32	डौं.लोहारा	किसना	6.00	65
33	डौं.लोहारा	चिल्हाटी खुर्द	0.50	50
34	डौं.लोहारा	चिल्हाटी कला	8.50	50
35	डौं.लोहारा	रेंगनी	15.10	42
36	डौं.लोहारा	रेंघई	1.00	40

37	डौं.लोहारा	कलकसा	1.00	35
38	डौं.लोहारा	मालीघोरी	2.00	35
39	डौं.लोहारा	सुरेगांव	6.00	60
40	डौं.लोहारा	फरदडीह	0.50	45
41	डौं.लोहारा	बुंदेली	5.50	45
42	डौं.लोहारा	बनगांव	1.00	40
43	डौं.लोहारा	खैरा	4.00	42
44	डौं.लोहारा	कसही	2.00	55
45	डौं.लोहारा	दुधली	3.00	55
46	डौं.लोहारा	कुम्हालोरी	13.00	54
47	डौं.लोहारा	खरथुली	2.50	50
48	डौं.लोहारा	दुपचेरा	1.50	50
49	डौं.लोहारा	बहियाकुंआ	1.00	57
50	डौं.लोहारा	खपरी	0.50	30
51	डौं.लोहारा	सहगांव	1.00	58
52	डौं.लोहारा	परना	1.00	77
53	डौं.लोहारा	बगईकोन्हा	1.00	50
54	डौं.लोहारा	गैंजी	1.00	59
55	डौं.लोहारा	हीतापठार	1.00	52
56	डौं.लोहारा	करेंगांव	1.00	52
57	डौं.लोहारा	झरनटोला	1.00	53
58	डौं.लोहारा	जाटादाह	1.00	58
59	डौं.लोहारा	नारगी	0.50	48
60	डौं.लोहारा	गारका	0.50	51
61	डौं.लोहारा	भीमकन्हार	1.00	48
62	डौं.लोहारा	कोबा	1.00	53
63	डौं.लोहारा	मरकामटोला	0.50	59
64	डौं.लोहारा	केरी जुंगेरा	1.00	75
65	डौं.लोहारा	पारी	1.00	49
66	डौं.लोहारा	पिंगाल	1.00	62
67	डौं.लोहारा	जोगीभाट	0.50	53
68	डौं.लोहारा	उरेटा	1.00	49
69	डौं.लोहारा	रूद्री	2.00	52
70	डौं.लोहारा	परसुली	1.00	60
71	डौं.लोहारा	गंधरी	1.00	49
72	डौं.लोहारा	रानीतराई	0.50	52
73	डौं.लोहारा	गंजईडीह	1.00	50
74	डौं.लोहारा	कसही कला	1.00	49
75	डौं.लोहारा	सिरपुर	1.00	49
76	डौं.लोहारा	सिर्राभाठा	1.00	59
77	डौं.लोहारा	फुलसुन्दरी	1.00	76
78	डौं.लोहारा	खामतराई	0.50	61
79	डौं.लोहारा	भुरकाभाट	1.00	51
80	डौं.लोहारा	कसही पापरा	1.00	48
81	डौं.लोहारा	परना	1.00	77
82	डौं.लोहारा	अण्डी	1.00	49
83	डौं.लोहारा	हथौद	1.00	49
		कुल रकबा–	180.10	

1	2	3	4	5
1	गुण्डरदेही	खुटेरी रंग	0.50	48
2	गुण्डरदेही	अचौद	21.50	45
3	गुण्डरदेही	बोदल	1.50	42
4	गुण्डरदेही	बोरगहन	10.50	48
5	गुण्डरदेही	फुण्डा	5.70	46
6	गुण्डरदेही	पेण्ड्री	53.40	45
7	गुण्डरदेही	कंलगपुर	4.50	45
8	गुण्डरदेही	चारभाठा	1.50	43
9	गुण्डरदेही	जोरातराई	4.20	60
10	गुण्डरदेही	परसाही	1.00	60
11	गुण्डरदेही	मुंडरा	1.00	58
12	गुण्डरदेही	कसौंदा	0.50	55
13	गुण्डरदेही	राहुद	2.00	60
14	गुण्डरदेही	सिरसिदा	2.00	60
15	गुण्डरदेही	गोरकापार	1.50	60
16	गुण्डरदेही	सांकरी	12.00	30
17	गुण्डरदेही	सिकोसा	2.50	40
18	गुण्डरदेही	कोड़ेवा	5.00	42
19	गुण्डरदेही	कोटगांव	0.50	45
20	गुण्डरदेही	चंदनबिरही	1.50	45
21	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	1.30	42
22	गुण्डरदेही	नवागांव	3.20	50
23	गुण्डरदेही	कुरदी	0.60	40
24	गुण्डरदेही	भरदाकला	1.00	65
25	गुण्डरदेही	देवगहन	1.00	55
26	गुण्डरदेही	गुरेदा	1.00	65
27	गुण्डरदेही	कांदुल	1.00	55
28	गुण्डरदेही	टिकरी	1.00	50
29	गुण्डरदेही	बेलोदी	2.00	25
30	गुण्डरदेही	मोखा	0.50	30
31	गुण्डरदेही	हल्दी	4.00	28
32	गुण्डरदेही	सिर्राभाठा	2.10	27
33	गुण्डरदेही	भाठागांव आर	1.00	40
34	गुण्डरदेही	मोंगरी	4.50	32
35	गुण्डरदेही	सलौनी	0.50	40
36	गुण्डरदेही	बरबसपुर	5.50	45
37	गुण्डरदेही	कमरौद	4.00	35
38	गुण्डरदेही	भोथीपार	2.00	45
39	गुण्डरदेही	कानाकोट	2.00	55
40	गुण्डरदेही	चंद्रखुरी	2.00	65
41	गुण्डरदेही	कुथरेल	2.00	70
		कुल रकबा–	175.00	

1	2	3	4	5
1	बालोद	लौण्डी	1.00	18
2	बालोद	बिरेतरा	1.00	18
3	बालोद	बेलमांड	0.50	20
4	बालोद	मटिया(पी)	0.50	22

1	2	3	4	5
5	बालोद	उमरादाह	3.50	17
6	बालोद	हीरापुर	1.00	20
7	बालोद	नेवारीकला	3.00	22
8	बालोद	परसाही	1.00	32
9	बालोद	पिपरछेड़ी	12.00	15
10	बालोद	भेंगारी	1.50	18
11	बालोद	चारवाही	16.00	16
12	बालोद	लाठाबोड़	11.50	30
13	बालोद	सोहतरा	4.50	14
14	बालोद	खपरी	2.00	32
15	बालोद	बोड़की	0.50	22
16	बालोद	सिवनी	4.00	20
17	बालोद	चिरईगोड़ी	2.00	7
18	बालोद	करहीभदर	12.40	5
19	बालोद	कन्नेवाड़ा	5.00	6
20	बालोद	परेगुड़ा	3.00	7
21	बालोद	करकाभाट	1.50	1
22	बालोद	गोरड़ी	2.20	14
23	बालोद	लिमोरा	1.50	12
24	बालोद	हथौद	2.00	7
25	बालोद	सांकरा(क)	12.00	6
26	बालोद	बरही	3.00	8
27	बालोद	जगतरा	4.00	13
28	बालोद	जमरूवा	12.00	12
29	बालोद	साल्हेटोला	0.40	8
30	बालोद	तमोरा	2.50	23
31	बालोद	दर्रीटोला	1.50	7
32	बालोद	धरमपुरा	3.00	9
33	बालोद	हर्राठेमा	4.00	25
34	बालोद	कांडे	14.50	9
35	बालोद	नागाडबरी	8.00	21
36	बालोद	परसोदा	7.00	12
37	बालोद	मुल्ले	3.00	40
38	बालोद	कोहगाटोला	10.00	32
39	बालोद	रें.नवागांव	1.60	35
40	बालोद	जगन्नाथपुर	3.00	37
41	बालोद	आरौद	2.50	32
42	बालोद	औरमा	7.00	27
43	बालोद	रानीतराई	1.00	21
44	बालोद	जुगेंरा	1.00	20
45	बालोद	सुन्दरा	10.50	40
46	बालोद	सांकरा(ज)	3.40	35
47	बालोद	घुमका	5.00	26
48	बालोद	मनौद	13.00	32
49	बालोद	मुल्लेगुड़ा	1.00	35
50	बालोद	खुर्सीपार	1.00	33
		कुल रकबा–	228.00	

1	2	3	4	5
1	डाण्डी	घाटिया	7.50	25
2	डौण्डी	ठेमाबुर्जुग	0.50	35
3	डौण्डी	बोहारडीह	0.50	45
4	डौण्डी	कुसुमकसा	0.50	35
5	डौण्डी	मंगलतराई	6.00	30
6	डौण्डी	ठेमाखुर्द	0.50	32
7	डौण्डी	मरीटोला	0.50	45
8	डौण्डी	पटेली	0.50	42
9	डौण्डी	ढोरीठेमा	0.50	45
10	डौण्डी	बेलोदा	2.00	25
11	डौण्डी	फरसगुडा	1.00	35
12	डौण्डी	जगकोहरा	3.00	30
		योग—	23.00	

1	2	3	4	5
1	पाटन	रीवागहन	0.30	35
2	पाटन	बटरेल	3.50	36
3	पाटन	उमरपोटी	0.40	38
4	पाटन	सुकोना	0.12	75
5	पाटन	कौरी	0.73	80
6	पाटन	अचानकपुर	0.12	70
7	पाटन	चुनकट्टा	0.12	55
8	पाटन	छाता	0.50	50
9	पाटन	किकरमेटा	0.40	42
10	पाटन	आगेसरा	2.40	42
11	पाटन	सिरसाकला	0.40	96
12	पाटन	रोही	2.50	80
13	पाटन	सेलूद	0.20	80
14	पाटन	औसर	2.00	82
15	पाटन	मगरघटा	75.00	106
		योग—	**88.69**	

1	2	3	4	5
1	दुर्ग	कोकड़ी	5.00	88
2	दुर्ग	चुदखुरी	2.52	80
3	दुर्ग	उमरपोटी	3.40	105
4	दुर्ग	महमरा	2.12	96
5	दुर्ग	कुथरेल	3.00	82
6	दुर्ग	विनायकपुर	2.12	85
7	दुर्ग	खाडा	0.15	104
8	दुर्ग	असनारा	8.30	100
9	दुर्ग	कोटनी	2.00	102
		योग—	28.61	

1	2	3	4	5
1	खैरागढ़	हरदी	4.00	70
2	खैरागढ़	मड़ौदा	1.80	80
3	खैरागढ़	जोरातराई	16.00	110
4	खैरागढ़	गाढ़ागाट	0.60	110
5	खैरागढ़	जुरहाकला	1.00	108
6	खैरागढ़	खण्डी सहसपुर	4.00	85

7	खैरागढ़	खरकाटोला	2.80	82
8	राजनांदगांव	उदयपुर	8.00	125
9	राजनांदगांव	टेमरी	6.00	95
10	राजनांदगांव	उरईडबरी	8.00	105
11	राजनांदगांव	भर्रेगांव	6.00	98
12	राजनांदगांव	इदवानी	2.00	94
13	राजनांदगांव	खेजारी	1.00	118
14	राजनांदगांव	डोंगरगढ़	1.00	145
		योग–	62.20	
	महायोग	कुल ग्राम	308	
		कुल रकबा (हे.)	1290.50	

पेराई सत्र 2015–16 में क्रय केन्द्र बेरला (विकासखंड बेरला) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामो की सूचीं एवं दूरी की जानकारी

कमाक	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय क्रेन्द्र पर गन्ना आपुर्त करने वाले ग्रामो का नाम	विकासखण्ड	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में)	क्रय केन्द्र से ग्रामों की दूरी(कि.मी.)
1	बेरला	बेरला	बेरला	14.60	0
2	बेरला	गाडामोर	बेरला	114.55	10
3	बेरला	सिंगारडीह	बेरला	20.23	17
4	बेरला	तठियाकला	बेरला	15.80	10
5	बेरला	लावतरा	बेरला	5.60	8
6	बेरला	तारालीम	बेरला	14.00	6
7	बेरला	खामतराई	बेरला	5.00	12
8	बेरला	सांकरा	बेरला	25.00	6
9	बेरला	बहेरा	बेरला	21.50	2
10	बेरला	पतोरा	बेरला	6.40	5
11	बेरला	गोड़गिरी	बेरला	5.30	14
12	बेरला	करामाल	बेरला	6.20	3
13	बेरला	परपोड़ा	बेरला	30.50	15
14	बेरला	मोहभट्ठा	बेरला	25.00	17
15	बेरला	पाथरपुंजी	बेरला	28.00	8
16	बेरला	सोंढ	बेरला	45.00	8
17	बेरला	भरचट्टी	बेरला	6.00	8
18	बेरला	बचेड़ी	बेरला	35.00	13
19	बेरला	चौगीखपरी	बेरला	10.00	15
20	बेरला	तिलई	बेरला	14.50	12
21	बेरला	बारगांव	बेरला	91.00	12
22	बेरला	करेली	बेरला	11.00	10
23	बेरला	बांसा	बेरला	28.00	3
24	बेरला	देवकर	साजा	4.00	24
25	बेरला	राखी	साजा	60.80	21
26	बेरला	अमलीडीह	साजा	16.00	35
27	बेरला	परसबोड	साजा	15.20	26
28	बेरला	साजा	साजा	22.00	29
29	बेरला	डोंगीतराई	साजा	8.00	31
30	बेरला	संबलपुर	साजा	15.00	38
31	बेरला	खाती	साजा	10.00	42
32	बेरला	अकलवारा	साजा	41.50	30

33	बेरला	नवकेसा	साजा	8.00	32
34	बेरला	सोमईकला	साजा	6.00	40
35	बेरला	बेदर्ची	साजा	5.60	30
36	बेरला	पेन्ड्री	धमधा	7.00	32
37	बेरला	सगनी	धमधा	7.00	40
38	बेरला	कौडिया	धमधा	4.56	29
39	बेरला	घटिया खुर्द	धमधा	9.00	22
40	बेरला	मुडपार	धमधा	2.80	20
41	बेरला	मोहदी	धमधा	8.56	22
42	बेरला	चेटवा	धमधा	14.00	30
43	बेरला	अछोली	धमधा	13.20	30
44	बेरला	दादर	धमधा	15.10	30
45	बेरला	संडी	धमधा	16.40	21
46	बेरला	डूमर	धमधा	9.20	26
47	बेरला	गिरहोला	धमधा	2.00	18
48	बेरला	माटरा	धमधा	22.00	12
49	बेरला	धमधा	धमधा	14.10	22
50	बेरला	बानबरद	धमधा	9.50	25
51	बेरला	अहिवारा	धमधा	9.00	22
52	बेरला	मोहरेंगा	धमधा	18.20	10
53	बेरला	खजरी	धमधा	8.67	11
54	बेरला	तरकोरी	धमधा	12.00	6
55	बेरला	ठठिया	धमधा	16.00	7
56	बेरला	मुरमुदा	धमधा	7.60	25
57	बेरला	खपरी	धमधा	25.00	20
58	बेरला	ढौर	धमधा	5.40	21
59	बेरला	कपसदा	धमधा	13.00	20
60	बेरला	परहा	धमधा	2.50	32
61	बेरला	बासाडीह	धमधा	16.00	18
62	बेरला	लहंगा	धमधा	5.16	12
63	बेरला	मलपुरीकला	धमधा	8.50	25
64	बेरला	पंचदेवरी	धमधा	13.56	20
65	बेरला	ओटेबंद	धमधा	12.20	25
66	बेरला	पेन्ड्रीतराई	धमधा	9.25	12
67	बेरला	लिमतरा	धमधा	6.40	12
68	बेरला	मुर्रा	धमधा	4.00	24
69	बेरला	खुंदनी	धमधा	5.24	25
		कुल योग		**1142.38**	

पेराई सत्र 2015–16 में क्रय केन्द्र आनंदगाव (विकासखंड बेरला) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामो की सूचीं एवं दूरी की जानकारी

कमांक	क्रय केन्द्र	क्रय क्रेन्द्र पर गन्ना आपुर्त करने वाले ग्रामो का नाम	विकासखण्ड	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे.में)	क्रय केन्द्र से ग्रामों की दूरी (कि.मी.)
1	आनंदगांव	कोसपातर	बेरला	4.40	8
2	आनंदगांव	मटिया	बेरला	3.10	7
3	आनंदगांव	आनंदगांव	बेरला	45.00	12
4	आनंदगांव	नवांगांव	बेरला	7.30	5
5	आनंदगांव	खुड़मुड़ा	बेरला	24.00	4
6	आनंदगांव	सिंगदेही	बेरला	8.00	8
7	आनंदगांव	सहौली	बेरला	15.00	6
8	आनंदगांव	बेलौदीकला	बेरला	6.00	10
9	आनंदगांव	मुड़पारखुर्द	बेरला	5.50	10
10	आनंदगांव	तेलगा	बेरला	8.00	4
11	आनंदगांव	सरदा	बेरला	12.30	8
12	आनंदगांव	लेंजवारा	बेरला	15.50	8
13	आनंदगांव	देवादा	बेरला	4.10	5
14	आनंदगांव	अकोली	बेरला	7.90	8
15	आनंदगांव	देवरी	बेरला	19.90	8
16	आनंदगांव	हरदी	बेरला	16.30	15
17	आनंदगांव	हसदा	बेरला	7.90	8
18	आनंदगांव	तिवरैया	बेरला	9.00	32
19	आनंदगांव	नेवनारा	बेरला	8.00	9
20	आनंदगांव	लालपुर	बेमेतरा	3.00	49
21	आनंदगांव	पचभैया	बेमेतरा	2.00	48
22	आनंदगांव	पेंड्री(दाढ़ी)	बेमेतरा	3.00	38
23	आनंदगांव	खडसरा	बेमेतरा	7.35	34
24	आनंदगांव	भैसा	बेमेतरा	20.20	36
25	आनंदगांव	झाराडीह	बेमेतरा	4.00	38
26	आनंदगांव	बेतर	बेमेतरा	1.00	42
27	आनंदगांव	बटार	बेमेतरा	2.00	44
28	आनंदगांव	पंडरभट्ठा	बेमेतरा	11.00	34
29	आनंदगांव	पेंड्रतराई	बेमेतरा	19.00	32
30	आनंदगांव	लावातरा	बेमेतरा	9.00	35
31	आनंदगांव	करचुआ	बेमेतरा	4.00	32
32	आनंदगांव	पेंड्री(बालसमुंद)	बेमेतरा	29.00	36
33	आनंदगांव	कुसमी	बेमेतरा	24.00	39

34	आनंदगांव	झाल	बेमेतरा	36.00	37
35	आनंदगांव	सिंगपुर	बेमेतरा	15.00	27
36	आनंदगांव	उधरी	बेमेतरा	5.00	48
37	आनंदगांव	बैजलपुर	बेमेतरा	3.00	45
38	आनंदगांव	बहु नवागांव	बेमेतरा	29.00	42
39	आनंदगांव	गांगपुर	बेमेतरा	9.00	48
40	आनंदगांव	मटका	बेमेतरा	13.00	35
41	आनंदगांव	बीजापुर	बेमेतरा	23.00	32
42	आनंदगांव	अमोरा	बेमेतरा	30.00	38
43	आनंदगांव	चावरभंठा	बेमेतरा	19.00	42
44	आनंदगांव	लेलासरा	बेमेतरा	36.00	47
45	आनंदगांव	बहरा	बेमेतरा	5.00	52
46	आनंदगांव	मुगेली	बेमेतरा	9.00	32
47	आनंदगांव	बाराडोरा	बेमेतरा	19.00	45
48	आनंदगांव	रबेली	बेमेतरा	5.00	44
49	आनंदगांव	सुगहनपुर	बेमेतरा	32.00	46
			कुल योग	**653.75**	

आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संकलित जानकारी

कारखाना कार्यक्षेत्र में कुल ग्रामों की संख्या — 308 रकबा — 1290.50 हेक्टेयर
(वि.ख.-बालोद, गुरूर, डौण्डी लोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़, धमधा)

कारखाना कार्यक्षेत्र के बाहर के कुल ग्रामों की संख्या — 84 रकबा — 1444.03 हेक्टेयर
(वि.ख.-साजा, बेरला, बेमेतरा)

महायोग ग्राम 392 रकबा— 2734.53 हेक्टेयर

सही/-

गन्ना विकास अधिकारी

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th February 2016

No. 98/Confdl./2016/II-2-99/2001 (Pt.-III).— On the application dated 11-02-2016 of Shri Ravi Shankar Sharma, Member of Higher Judicial Service, presently posted as Registrar (I. & E.) & I/c. S. & A. Cell, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur requesting for change of his home district, permission is hereby accorded to change his home district from "Raipur" to "Durg" with a direction that necessary changes be affected in all his records.

Bilaspur, the 1st March 2016

No. 124/Confdl./2016/II-2-1/2016.— On reinstatement of the services of Shri Vinod Kumar Dewangan, the then VI Additional District & Sessions Judge, Raipur (Presently under suspension with headquarter at Raipur), he is hereby, posted as II Additional Judge to the Court of Additional District & Sessions Judge, Ramanujganj from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 3rd March 2016

No. 126/Confdl./2016/II-2-2/2002 (Pt. II).—The following District Judge (Selection Grade), as specified in Column No. (2) of the tabel below, are hereby appointed to the category of District Judge (Super Time Scale) in the Pay-Scale of Rs. 70290-1540-76450 from the date mentioned in Column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer with present designation (2)	Date of appointment to the category of District Judge (Super Time Scale) (3)
1.	Shri Satish Kumar Singh, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdalpur).	03-03-2016
2.	Shri Ganpat Rao, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa	03-03-2016
3.	Smt Rajni Dube, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	03-03-2016
4.	Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Durg	03-03-2016
5.	Shri Naresh Kumar Chandrawanshi, District & Sessions Judge, Surguja (Ambikapur).	03-03-2016
6.	Shri Ravi Shankar Sharma, Registrar (I. & E.), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur.	03-03-2016
7.	Shri Deepak Kumar Tiwari, District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	03-03-2016
8.	Shri Radhakishan Agrawal, President, District Consumer Disputes Redressal Forum, Raipur.	03-03-2016
9.	Shri Nirmal Minj, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara).	03-03-2016
10.	Shri Sypriel Xess, II Additional Principal Judge, Family Court, Raipur.	03-03-2016

Bilaspur, the 9th March 2016

No. 197/Confdl./2016/II-1-1/2009, II-1-1/2013, II-1-2/2014.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/02/2015-US.II dated 03-03-2016 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Manindra Mohan Shrivastava, Hon'ble Shri Justice Goutam Bhaduri, Hon'ble Shri Justice Sanjay Kumar Agrawal, Hon'ble Shri Justice Puthichira Sam Koshy, Hon'ble Shri Justice Inder Singh Uboweja and Hon'ble Shri Justice Chandra Bhushan Bajpai have assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 08th March, 2016 in the forenoon.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 1st March 2016

No. 06/Comp./2016.— In the matter of Departmental Enquiry arising out of the conduct of Shri Vinod Kumar Dewangan, the then VI Additional District & Sessions Judge, Raipur, presently placed under suspension with headquarter at Raipur, while dealing with the trail of offence punishable under section 304-B of IPC and while dealing with the application filed by the main accused under section 439 of Cr.P.C. in Sessions Trial No. 22 of 2013, after considering the enquiry report dated 26-12-2015 submitted by the Enquiry Officer, Hon'ble the High Court of Chhattisgarh as Disciplinary Authority has been pleased to impose minor punishment of 'censure' under Rule 10 (i) of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 upon Said Shri Vinod Kumar Dewangan.

The High Court of Chhattisgarh is further pleased to revoke the suspension order No. 26/Comp./2015 dated 22-08-2015 passed against Shri Vinod Kumar Dewangan, the then VI Additional District & Sessions Judge, Raipur, presently placed under suspension with headquarter at Raipur. His posting order is being issued separetely.

The High Court of Chhattisgarh is also pleased to direct that the officer shall be entitled to 75% of the salary for the period of suspension which shall otherwise count as duty for other service purposes.

By order of the High Court,
RAVI SHANKAR SHARMA, Registrar (I & E).

Bilaspur, the 22nd February 2016

No. 21/L.G./2016/II-3-19/2008.—Shri N. K. Chandrawanshi, District & Sessions Judge, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 05 days from 19-01-2016 to 23-01-2016 along with permission to remain out of headquarters from 19-01-2016 to 24-01-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandrawanshi had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd February 2016

No. 22/L.G./2016/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, I Additional Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 07-12-2015 to 11-12-2015 along with permission to leave headquarters after 05.30 p.m. of 05-12-2015 to 11-12-2015 and earned leave for 04 days from 27-01-2016 to 30-01-2016 along with permission to leave headquarters after 05.30 p.m. of 25-01-2016 to 31-01-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 286 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd February 2016

No. 23/L.G./2016/II-3-13/2007.—Shri N. D. Tigala, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 01 day on 17-12-2015 along with permission to leave headquarters from the evening of 06.00 p.m. of 16-12-2015 till before the Court hours of 18-12-2015, earned leave for 04 days from 26-12-2015 to 29-12-2015 suffixing winter vacation along with permission to leave headquarters from the evening of 23-12-2015 till the evening of 31-12-2015 and earned leave for 04 days from 27-01-2016 to 30-01-2016 along with permission to leave headquarters from the evening of 26-01-2016 till the evening of 31-01-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tigala, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 281 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd February 2016

No. 24/L.G./2016/II-3-65/2001.—Shri Jagdamba Rai, Special Judge (Atrocities), Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 26-12-2015 to 29-12-2015 along with permission to leave headquarters after the office hours of 24-12-2015 to 29-12-2015 and eanred leave for 16 days from 18-01-2016 to 02-02-2016 along with permission to leave headquarters from 17-01-2016 to 02-02-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Rai, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd February 2016

No. 25/L.G./2016/II-2-3/2014.—Smt. Anita Dahariya, Judge, Family Court, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 09 days from 04-02-2016 to 12-02-2016 along with permission to leave headquarters from 04-02-2016 to 14-02-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dahariya, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 22nd February 2016

No. 26/L.G./2016/II-2-06/2007.—Shri Nirmal Minj, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 12 days from 21-12-2015 to 01-01-2016 along with permission to leave headquarters from 19-12-2015 to 01-01-2016 and earned leave for 09 days from 29-01-2016 to 06-02-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Minj, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+06 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2016

No. 27/L.G./2016/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby, granted earned leave for 05 days from 15-02-2016 to 19-02-2016 along with permission to leave headquarters from 13-02-2016 to 21-02-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 275 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2016

No. 28/L.G./2016/II-2-19/2006.—Shri R. C. S. Samant, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 02 days on 01-01-2016 & 02-01-2016 in continuation of winter vacation along with permission to leave headquarters and earned leave for 15 days from 27-01-2016 to 10-02-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Samant, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 274 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2016

No. 29/L.G./2016/II-02-04/2014.—Shri Sanjay Kumar Jaiswal, District & Sessions Judge, Balod is hereby, granted earned leave for 02 days on 04-01-2016 & 05-01-2016 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 02-01-2016 till before the Court hours of 06-01-2016 and earned leave for 04 days from 09-02-2016 to 12-02-2016 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 08-02-2015 till before the Court hours of 15-02-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jaiswal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 276 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st March 2016

No. 30/L.G./2016/II-03-07/2015.—Shri Santosh Sharma, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Surguja at Ambikapur is hereby, granted commuted leave for 21 days from 21-01-2016 to 10-02-2016.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 103 days of half-pay leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).